

प्र.क. R PBR/2017

प्रस्तुती दिनांक 21/03/2017

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

केम्प इन्दौर के समक्ष

R 935-PBR17

1. कालु पिता श्री रूगला मईड़ा
2. भुवान पिता श्री कालु मईड़ा
3. रमेश पिता श्री कालु मईड़ा

सभी निवासी - ग्राम घुघरी, तहसील पेटलावद  
जिला झाबुआ म.प्र.

.... प्रार्थीगण/आवेदकगण

विरुद्ध

1. हिरका पिता श्री पीरू मईड़ा
2. ग्यारसी पिता श्री पीरू मईड़ा
3. मुन्ना पिता श्री कालु मईड़ा

सभी निवासी - ग्राम घुघरी, तहसील पेटलावद  
जिला झाबुआ म.प्र.

.....प्रतिप्रार्थीगण/अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

इसमें अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद  
जिला झाबुआ द्वारा प्र.क. 67/अपील/13-14 में पारित अंतरिम आदेश  
दिनांक 14.02.2017 (त्रुटिवश 2016 अंकित है) से व्यथित व असंतुष्ट  
होकर प्रार्थीगण इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करते हैं।



21/03/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 935-पीबीआर/17

जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-1-2019	<p>आवेदकगण की ओर से श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष कलेक्टर के समक्ष दिनांक 25-4-2019 को उपस्थित हों । अनावेदक सूचित हों।</p> <p> सीडर</p>	<p> अध्यक्ष</p>